24

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 49 / 2021

दायर दिनांक–26.07.2021

1. श्यामसुंदर पुत्र श्री किशन जाति महाजन निवासी चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– वादी

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बोदूराम जाति माली निवासी बागोरियां की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2. अशोक पुत्र परसराम पारिक जाति ब्राहम्ण निवासी चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अमर सिंह शेखावत
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक–05.08.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 649 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 650 रकबा 2.61 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.6300 है0 स्थित है। जिसकी खातेदारी वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादी की भूमि से अन्य का कोई लेना देना नही है। ना ही वादी की भूमि से कोई कटाण शुदा रास्ता है जिसका राजस्व रिकॉर्ड साथ संलग्न है। वादी द्वारा आमजन की सुविधा के लिए वादग्रस्त भूमि के उत्तरी दिशा में 10 फीट चौड़ा रास्ता आमजन की सुविधा के लिए छोड़कर शेष भूमि में तारबंदी कर रखी है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 साज कर 10 फिट चौड़े रास्ते के अलावा तारबंदी को तोड़कर जबरन ग्रेवल रोड़ डालना चाह रहे है। यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने मे सफल हो गये तो वादी को वाद करना ही व्यर्थ हो जायेगा तथा वादी को अपार क्षति होगी।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग पर न तो स्वयं तारबंदी तोड़े ना ही वादी के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी स्वयं पैदा करे ना ही किसी अन्य से करवायें। वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वकील वादी ने शहादत वादी हेतु श्यामसुन्दर पुत्र किशन, रेवत सिंह पुत्र भंवर सिंह के चीफ के सपथ पत्र पेश किये तथा वादी द्वारा अपने वाद–पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रदर्श 01 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 तथा प्रदर्श 2 नकल नक्शा ट्रैस आदि पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादी एकमात्र खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें किसी प्रकार का रास्ते की भूमि दर्ज नही है तथा ना ही कोई रास्ता कटाण का दर्ज है। अतः उक्त विवादग्रस्त भूमि की तारबंदी तोड़[illegible] के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही देने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाना न्या[illegible]स्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:41:30 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। [illegible] ढाणी पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 649 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 650 रकबा 2.61 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.6300 है0 भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि की तारबंदी नही

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

तोड़े तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/08/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट ट्रैक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:41:30 IST
Reason: SelfAttested

26

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 49/2021 **(श्यामसुंदर बनाम राजेन्द्र आदि)**

पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 05.08.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 649 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 650 रकबा 2.61 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.6300 है0 भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि की तारबंदी नही तोड़े तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.08.2024 को जारी की गई।

हवाई सिंह 05/08/24
हवाई सिंह यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:41:30 IST
Reason: SelfAttested